न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 304/2024

अनवान : –

1. सावत्री पत्नी सुलतान (माता देवेन्द्र उर्फ कालु) जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

2. मोनिका पत्नी देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. पुरी पुत्री देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक:30/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 57/52 की कुल 11.9410 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 55/54 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 15 जेएसएन – बी तहसील नोहर के खाता संख्या 165/158 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान के नाम दर्ज है जो कि वादीया का पुत्र है देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान फौत हो चुका है तथा देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान के जायज वारिसान सावत्री माता, मोनिका पत्नी व परी पुत्री है जिनका उक्त वाद भूमि में बहिब हक हिस्सा। वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान के नाम दर्ज भूमि पर वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 बहिब काबिज है। जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:36:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया की तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को जो भी हक हिस्सा है उन्हें दिया जा रहा है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र देवेन्द्र उर्फ कालुराम, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान के नाम दर्ज है जो कि वादीया का पुत्र है देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान फौत हो चुका है तथा देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान के जायज वारिसान सावत्री माता, मोनिका पत्नी व परी पुत्री है जिनका उक्त वाद भूमि में बहिब हक हिस्सा। वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान के नाम दर्ज भूमि पर वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 बहिब काबिज है। जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 57/52 की कुल 11.9410 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 55/54 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 15 जेएसएन – बी तहसील नोहर के खाता संख्या 165/158 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान के नाम दर्ज है जो कि वादीया का पुत्र है देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान फौत हो चुका है तथा देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान के जायज वारिसान सावत्री माता, मोनिका पत्नी व परी पुत्री है जिनका उक्त वाद भूमि में बहिब हक हिस्सा। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 उक्त वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:36:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान के नाम दर्ज भूमि पर वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 बहिब काबिज है। जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।वादीया द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र देवेन्द्र उर्फ कालुराम के अवलोकन से स्पष्ट है कि देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान का देहान्त हो चुका है। वादीया द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र व शपथ पत्र बाबत सदस्य देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान के वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 के अलावा अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 57/52 की कुल 11.9410 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में कालुराम पुत्र सुलतान का नाम कलमजन किया जाता है व खाता संख्या 55/54 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि में देवेन्द्र पुत्र सुलतान का नाम कलमजन किया जाता है व रोही मौजा 15 जेएसएन – बी तहसील नोहर के खाता संख्या 165/158 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि में कालुराम पुत्र सुलतान का नाम कलमजन किया जाकर तीनों खातों की भूमि में वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:36:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 304/2024

अनवान : –

1. सावत्री पत्नी सुलतान (माता देवेन्द्र उर्फ कालु) जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

2. मोनिका पत्नी देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. पुरी पुत्री देवेन्द्र उर्फ कालुराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 304 सन 2024 निर्णय दिनांक :– 30/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 57/52 की कुल 11.9410 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में कालुराम पुत्र सुलतान का नाम कलमजन किया जाता है व खाता संख्या 55/54 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि में देवेन्द्र पुत्र सुलतान का नाम कलमजन किया जाता है व रोही मौजा 15 जेएसएन – बी तहसील नोहर के खाता संख्या 165/158 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि में कालुराम पुत्र सुलतान का नाम कलमजन किया जाकर तीनों खातों की भूमि में वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:36:34 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर